

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0. बजट-आवंटन-36/2014-110 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 26-09-2014

प्रेषक,
रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2014-15 में 6375.325 लाख रुपये (तिरसठ करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष-2014-15 में अनुसूचित जाति के लिए 523.60 लाख रुपये (पाँच करोड़ तेईस लाख साठ हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹5,23,60,000 (पाँच करोड़ तेईस लाख साठ हजार रु०) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-4184 दिनांक-09.09.2014 द्वारा वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2014-15 में 6375.325 लाख रुपये सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन उक्त महाविद्यालय को अनुसूचित जाति के लिए 523.60 लाख रुपये (पाँच करोड़ तेईस लाख साठ हजार रु०) व्यय हेतु स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत तत्काल व्यय हेतु कुल ₹5,23,60,000 (पाँच करोड़ तेईस लाख साठ हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹5,23,60,000 (पाँच करोड़ तेईस लाख साठ हजार रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0102-कृषि महाविद्यालय शाहाबाद क्षेत्र, विपत्र कोड-P2415017890102, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5043 में वर्ष 2014-15 में विषयशीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबंधित राशि 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये) में से व्यय हेतु 1,01,48,000 रुपये (एक करोड़ एक लाख अड़तालीस हजार रुपये) विषयशीर्ष 3105-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मे उपबंधित राशि 4,00,00,000 रुपये (चार करोड़ रुपये) मे से व्यय हेतु 4,00,00,000 रुपये (चार करोड़ रुपये.) तथा विषयशीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में उपबंधित राशि 22,12,000 रुपये (बाईस लाख बारह हजार रुपये) मे से व्यय हेतु 22,12,000 रुपये (बाईस लाख बारह हजार रुपये) की निकासी वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल उपबंधित राशि 7,22,12,000 रुपये (सात करोड़ बाईस लाख बारह हजार रुपये.) में से विफलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निष्ठांसी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासार्थतः

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

110 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 26-09-2014

प्रतिलिपि

महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रामजी

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

110 (आवृत्त)

/कृ०, पटना, दिनांक 26-09-2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय अंयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर/प्राचार्य उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय नालन्दा/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/रूप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्यंजन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।